

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1863]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 22, 2016/आषाढ़ 31, 1938

No. 1863]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 22, 2016/ ASADHA 31, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2016

का.आ. 2518 (अ) .- केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2069 (अ), तारीख 22 जुलाई 2015, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3 उप-खण्ड (ii) में तारीख 22 जुलाई, 2015 को प्रकाशित की गई थी, में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में:-

(क) क्रम संख्या 01 के सामने जिला “नालगोंडा” और पुलिस स्टेशन “नकरेकल” से संबंधित, सातवें कॉलम में प्रविष्टि “(03) कड़परती” के पश्चात प्रविष्टि “(04) चंद्रपल्ली” अंतःस्थापित की जाएगी।

[फा.सं. आर.डब्ल्यू/एन.एच.-37014 / 06 / 2015 / एन.एच.डी.पी-IVA]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

पाद टिप्पणी: मूल अधिसूचना 22 जुलाई, 2015 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3 उप-खण्ड (ii) में का.आ. 2069 (अ), तारीख 22 जुलाई, 2015 में प्रकाशित की गई थी

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd July, 2016

S.O. 2518 (E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2069 (E) dated 22nd July, 2015 published in the Gazette of India, extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 22nd July, 2015.

In the Schedule to the said Notification

(a) against serial No.-01 relating to District “Nalgonda” and Police Station “Nakrekkal” in the 7th column after entry “(3) Kadaparthi” the entry “(04) Chandampally” shall be inserted.

[F. No. RW/NH-37014/ 06/2015/NHDP-IVA]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Foot Note: The principal notification were published vide S.O. 2069 (E) dated 22nd July, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 22nd July, 2015.